

परकारों एवं अधिका
आदि के हस्ताक्षर

312

435

न्यायालय श्रीमान् माहनीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट री वाम 940
R-5008-के 117



R 5008-II 117

सुजायति कुमारी पुत्री स्क्रीय राधोराम सिंह उर्फ राधोराम अत्रिय निवासी
भाउहा तहसील व जिला सिरौली म०प्र०

बनाम

आवेदक यशभाम
पुत्री भक्त कुमार तांडव
31/01/17

- 1] म०प्र० शासन द्वारा तहसीलदार सिरौली
- 2] कृष्णामारायण भिता भगक्त सिंह क्षत्रिय निवासी ग्राम भाउहा तहसील व जिला सिरौली म०प्र०
- 3] रमाशंकर सिंह तनय श्री भगक्त सिंह क्षत्रिय निवासी ग्राम भाउहा तहसील व जिला सिरौली म०प्र०
- 4] रामचन्द्र सिंह तनय मानिक सिंह निवासी ग्राम मांजम खुर्द तहसील व जिला सिरौली म०प्र०
- 5] राजेश कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार सिंह भिता राजकुमार सिंह निवासी ग्राम मादों
- 6] कुंजल सिंह भिता स्व० मितरजीत सिंह निवासी ग्राम रौंदी तहसील मांडा जिला सिरौली म०प्र०

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी बिस्व आदेश न्यायालय श्रीमान् क्लेक्टर
महोदय जिला सिरौली के प्रकृष्ट प्रकृष्ट 125/बी-
121/14-15 आदेश दिनांक- 15-12-2016

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रट०
संहिता 1959 ई०.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1] यह कि आदि निरस्त न्यायालय का आदेश विधि, प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।


Signature

क्रमशः 2..1/1 पर

312
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.5008-11/17 जिला-सिगरौली

सुखपीत कुमारी विरुद्ध शालम, छच्छा नारायण

(1)	(2)	(3)
16-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.शालम, छच्छा नारायण अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला...सी.का... के प्रकरण क्रमांक...125/11/14/15...में पारित आदेश दिनांक...15-12-2016...के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक...16-1-19...को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	